



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर

क्रमांक/1050/समन्वय/वित्त/शुल्क/2026

रायपुर, दिनांक 02/02/26

:: आदेश ::

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.10.2025 के विषय क्रमांक-05 एवं कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 23.12.2025 में हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा शुल्क शैक्षणिक सत्र 2026-27 से निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा वर्ष 2021 से हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क			समिति द्वारा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी हेतु मान्य परीक्षा शुल्क वृद्धि रूपये में
क्र.	विवरण	शुल्क रूपये में	
1	नियमित परीक्षा शुल्क हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी, -280 अंकसूची - 100 प्रायोगिक प्रति विषय 80	460	800
2	नामांकन शुल्क	80	200
3	अतिरिक्त विषय	110	250
4	एक विषय (द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा)	280	400
5	दो विषय (द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा)	340	600
6	दो से अधिक विषय क्रेडिट योजना (द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा)	640	1000
7	स्वाध्यायी छ.ग.राज्य से बाहर के छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	1540	2000
8	स्वाध्यायी छत्तीसगढ़ राज्य के नवीन छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	1540	2000
9	स्वाध्यायी छत्तीसगढ़ राज्य के एस.सी./एस.टी. छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	560	800
10	स्वाध्यायी संपूर्ण विषय हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा के लिए	1230	1600
11	स्वाध्यायी एक विषय	280	500
12	स्वाध्यायी दो विषय	340	600
14	ग्राह्यता शुल्क	310	500
15	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन	240	400
16	विषय माध्यम/संकाय परिवर्तन प्रति विषय	200	400
17	स्वाध्यायी के छात्रों हेतु अग्रेषण संस्थाओं को देय शुल्क	60	70
18	प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति	80	80
19	विलम्ब शुल्क स्वाध्यायी	770	1000
20	विशेष विलम्ब शुल्क	1540	2000

कमशः 02 पर..

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा वर्ष 2021 से हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क			समिति द्वारा हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी हेतु मान्य परीक्षा शुल्क वृद्धि रूपये में
क्र.	विवरण	शुल्क रूपये में	
1	2	3	4
21	आवेदन पत्र शुल्क नियमित/स्वाध्यायी	80	150
22	नियमित आवेदन पत्र निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर प्रति परीक्षा 31 दिसम्बर तक	1540	2000

मण्डल में पूर्व प्रचलित मदों में से जिस मद के शुल्क की वृद्धि नहीं की गई है, उन मदों की शुल्क पूर्व की भांति यथावत रहेगी। उपरोक्त वृद्धित दरें शिक्षा सत्र 2026-27 से आगामी आदेश तक लागू रहेगी।

श्रीमती पुष्पा साहू (भा.प्र.से.)
सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर
27/01/26

रायपुर, दिनांक 02/02/2026

पृष्ठांकन क्रमांक/ 1051 /समन्वय/वित्त/शुल्क/2026

- माननीय शिक्षा मंत्री जी के निज सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निज सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष/सचिव के निजी सहायक, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- समस्त माननीय मण्डल सदस्यगण, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय संभाग, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर,
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़,
- समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापकगण/समस्त कक्ष अधि., छ.ग.मा.शि. मण्डल, रायपुर,
- समस्त संभागीय अधिकारी, छ0ग0मा0शि0मण्डल बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव,
- समस्त प्राचार्य, मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएँ, छत्तीसगढ़, की ओर पालनार्थ।
- प्रोग्रामर, डाटा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर, की ओर मण्डल की वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर
27/01/26